

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

1	DHA-569	नवल / अमरसिंह / धारडी म. टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
2	DHA-350	राजकुवर / बसंत / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
3	DHA-217	नवलसिंह / अमरसिंह / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
4	DHA-207	राजेन्द्र / भगतसिंह / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	—	—	धारा 4 के दिनांक से आयु 18 से कम होने से पात्रता नहीं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

5	DHA-208	अनिता / भगतसिंह / धारडी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
6	DHA-534	हरेसिंह / पेमा / धारडीम.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 31 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
7	DHA-209	भूरीबाई / धवलसिंह / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदिका को अविकसित इकाई मुआवजा ग.प.क क्र. 56 पर मकान मुआवजा राशि 54060 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 32 पर उम्र-50 वर्ष आश्रित माँ के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

8	DHA-279	मेहताब / अर्जुन / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को अवार्ड कृषि ग.प. क क्र. 20 पर मकान/भूमि की मुआवजा राशि 8788 निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदक के पिता को ग.प. क्र. 19 पर मकान की मुआवजा राशि 85646 निर्धारित कर भुगतान की गई। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 19 पर कृषि कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 8788 भुगतान की गई है।	
9	DHA-282	गोपाल / करणसिंह / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 49 पर मकान मुआवजा राशि 12401 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए के प्रकरण क्र. 19872 आदेश दि. 20.08.08 द्वारा कंडिका 7.2 की मकान की अंतर राशि 12599 मान्य	जीआरए के पालन में मकान के अंतर की राशि भुगतान की गई। पात्रता नहीं।	
10	DHA-284	अर्जुन / मांगीलाल / धारडीम.टोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 18 पर मकान मुआवजा राशि 14191 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19875 आदेश दि. 10.06.08 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि 10809 मान्य	जी.आर.ए के पालन में कंडिका 7.2 मकान के अंतर की राशि भुगतान की गई। पात्रता नहीं	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

11	DHA-255	राजू / मेहताब / धारडी मजरा टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 56 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
12	DHA-285	छितिया / कालू / धारडीमजराटोला नरसि.	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को एमडब्ल्यूएल मुआवजा ग.प.क क्र. 1 पर मकान मुआवजा राशि 8940 निर्धारित कर भुगतान की गई है। एवं ग.प.क्र. 04 पर अनुदान राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 8940 भुगतान की गई	
13	DHA-538	रमेश / शंकर / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रूपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 96 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
14	DHA-283	राजकुमारी / ललित / धारडीमजरा टोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	एमडब्ल्यूएल प्रकरण के गणना प.क्र. 14 पर मकान की मुआवजा राशि 13943 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19953 आदेश दि. 22. 08.08 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	जी.आर.ए से अमान्य होने पात्रता नहीं	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

15	DHA-280	उमाबाई / अर्जुन / धारडीमजराटोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को अवारड एफआरएल से एमडब्ल्यूएल ग. प.क्र.18 मकान की राशि 16787 निर्धारित कर भुगतान की गई। पिता को ग.प.क्र.19 मकान की राशि 85646 निर्धारित कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19905 आदेश दि. 16.06.09 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि अमान्य	जीआरए द्वारा अमान्य होने से पात्रता नहीं।	
16	DHA-281	भगवतीबाई / लक्ष्मीनारायण / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को अविकसित इकाई मुआवजा ग.प.क क्र. 42 पर मकान मुआवजा राशि 8796 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए के प्रकरण क्र. 19882 आदेश दि. 22.08.08 द्वारा कंडिका 7.2 अमान्य एवं जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19860 आदेश दि. 15.04.09 द्वारा निवासरत नहीं होने से अनुदान अमान्य	पात्रता नहीं	
17	DHA-278	भावलाल / हरेसिंह / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 20000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा ग. प.क क्र. 36 पर मकान की मुआवजा राशि 12664 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 16 पर कृषि कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 12664 भुगतान की गई है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

18	DHA-596	गोकुल / रंगलाल / धारडी	संपूर्ण आबादी भूखंड का मुआवजा निर्धारण कर दिए जाने बाबत्।	आवेदक को आ. मुआवजा ग. प.क क्र. 23 पर भूखंड एवं मकान मुआवजा राशि 50579 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश अनुसार एफआएल से एमडब्ल्यूएल के बीच आबादी क्षेत्र के मकानों व उनसे जुड़ी परिसंपत्तियों व उनके नीचे की भूमि का ही अर्जन किया जाना है। रिक्त भूखंड का नहीं।	
19	DHA-286	सुरेश / कालू / धारडीम.टोला नरसिंगपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को एमडब्ल्यूएल मुआवजा ग.प.क क्र. 28 पर मकान मुआवजा राशि 12375 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 19889 आदेश दि. 22. 08.08 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	जी.आर.ए से अमान्य होने से पात्रता नहीं।	
20	DHA-540	केशरबाई / शंकर / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 94 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
21	DHA-539	गणपत / शंकर / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 93 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा      आवेदन पत्र का प्रकार :      7      पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

1	DHA-544	नीलाबाई / हरेसिंग / धारडीम.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 89 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
2	DHA-545	सकम / कल्याण / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 106 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
3	DHA-576	मुकेश / नत्थू / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 35 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
4	DHA-541	सोमा / बावरिया / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 52 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	



**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

5	DHA-543	दिनेश / शोभाराम / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 90 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
6	DHA-542	शोभाराम / दरियाव / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 91 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
7	DHA-549	मोहन / छगन / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 71 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
8	DHA-548	राजाराम / कैकडिया / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 4 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

9	DH-563	छगन / हरेसिंह / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 87 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
10	DHA-575	तिलोकचंद / रेवाराम / धारडी म. टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 87 पर मकान मुआवजा राशि 273258 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
11	DHA-547	सीताराम / केकड़िया / धारडी म.टोलानरसिंग	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	3 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
12	DHA-227	दयाराम / बावरिया / धारडीमजरा टोला नरसिंगपुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

13	DHA-225	केकड़िया / रूपला / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत।	-	-	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बडवाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।	
14	DHA-580	चंपालाल / तोताराम / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	-	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
15	DHA-573	धीरसिंह / मनोहर / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 74 पर मकान मुआवजा राशि 21840 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	-	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
16	DHA-577	सुखलाल / बंशीलाल / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2.5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 70 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

17	DHA*574	दिनेश / दयाराम / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 73 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई हैं	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
18	DHA-572	हेमराज / अर्जुन / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 88 पर मकान मुआवजा राशि 21499 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से पात्रता नहीं।	
19	DHA-571	गोकुल / छगन / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 74 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
20	DHA-570	बाला / छगन / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 120 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा**      **आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

21	DHA-568	भादर / सुरेश / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 68 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
22	DHA-550	हजारी / जिरवन / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 1 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
23	DHA-564	कालू / पदम / धारडी म.टोला नरसिंग	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 62 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
24	DHA-562	राजु / छगन / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 88 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

25	DHA-561	मुन्नालाल / नत्थू / धारडी म.टोला नरसं.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 55 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
26	DHA-559	नत्थू / बावरिया / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 34 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
27	DHA-558	गुदावरी / उँकार / धारडी म.टोला नरसिंगपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 47 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
28	DHA-557	कन्हैया / हरिराम / धारडी म.टोला नरसं.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	49 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

29	DHA-555	रायसिंह / हरेसिंह / धारडी म.टोला	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 32 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
30	DHA-553	नंदराम / सोमा / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 53 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
31	DHA-552	तोतारामजी / सूरज / धारडी म. टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 75 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
32	DHA-551	शांतिलाल / कमल / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 77 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : धारडी मंजरा टोला नरसिंगपुरा**      **आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग**

33	DHA-567	चंपा / हरेसिंह / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 33 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
34	DHA-579	रुखडिया / मांगीलाल / धारडी म.टोला नरसिंग.	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 65 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	